

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 980] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 25, 2016/वैशाख 5, 1938 No. 980] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 25, 2016/VAISAKHA 5, 1938

# शहरी विकास मंत्रालय

## (दिल्ली प्रभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2016

का.आ. 1493(अ).— यत: दिल्ली मुख्य योजना में इसके अन्तर्गत उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कितपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 21.08.2015 की सार्वजनिक सूचना का.आ.सं. 2278 (अ) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपितयां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- 2. यत: प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में 3 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए थे।
- 3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 4. अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

1969 GI/2016 (1)

# संशोधनः

औद्योगिक क्षेत्र, फेज-**V**, रोहिणी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं हेतु तीन स्थलों में विभाजित अर्थात 2.42 हेक्टेयर क्षेत्रफल के स्थल सं. I-2, 13.45 हेक्टेयर क्षेत्रफल के स्थल सं. I -8, 6.59 हेक्टेयर क्षेत्रफल के स्थल सं. I-10 वाली कुल 22.46 हेक्टेयर भूमि/क्षेत्रफल भूमि उपयोग को "औद्योगिक" से "उपयोगिता" (यू-4) में परिवर्तित करना।

स्थलों के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	ले-आउट प्लान (एल.ओ.पी.) के अनुसार अवस्थिति/प्लॉट सं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि उपयोग (दि.मु.यो2021 एवं जोन-एम की क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार)	प्रस्तावित भूमि उपयोग	सीमा का विवरण
1.	औद्योगिक क्षेत्र, रोहिणी फेज़- <b>V</b> पलॉट सं. I-2	2.42	औद्योगिक	उपयोगिता (यू-4) (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा) अनुसंधान, विकास एवं अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के	उत्तरः डी.एस.आई.आई.डी.सी. भूमि पूर्वः डी.एस.आई.आई.डी.सी. भूमि दक्षिणः बूचड़खाना पश्चिमः 40 मीटर चौड़ी हरित पट्टी
2.	औद्योगिक क्षेत्र, रोहिणी फेज़- <b>V</b> पलॉट सं. I-8	13.45	औद्योगिक	उपयोगिता (यू-4) (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा) इंजीयरीकृत सैनेटरी लैंड फिल और खाद संयत्र के लिए।	उत्तरः प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क एवं निर्मित पूर्वः निर्मित दक्षिणः प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सड़क एवं 18 मीटर सड़क चौड़ी सड़क। पश्चिमः डी.एस.आई.आई.डी.सी. भूमि एवं बस डिपो
3.	औद्योगिक क्षेत्र, रोहिणी फेज़- <b>V</b> पलॉट सं. I-10	6.59	औद्योगिक	उपयोगिता (यू-4) (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा) अपशिष्ट से उर्जा संयत्र के	उत्तरः हरित एवं निर्मित डी.एस.आई.आई.डी.सी. भूमि पूर्वः निर्मित दक्षिणः निर्मित पश्चिमः डी.एस.आई.आई.डी.सी. भूमि

शर्तः i) स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करना है कि इन सैनिटरी लैंड फिल स्थानों के आस-पास ग्रीन बफर मुहैया किया जाए।

- ii) स्थानों को पूरा करने/भरने के बाद पौधारोपण अथवा मनोरंजन क्षेत्र के लिए पुनःउपयोग किया जाएगा।
- iii) स्थानीय निकाय सैनिटरी लैंड फिल स्थानों के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी ताकि यह आस-पास के क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य के लिए बाधा न बने।

[फा. सं. के-13011/21/2015-डीडी-I] सुनील कुमार, अवर सचिव

#### MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th April, 2016

- **S.O. 1493(E).** Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 2278 (E) dated 21.08.2015 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions are required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
  - 2. Whereas three objections/suggestions received with regard to the proposed modifications and,
- 3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.
- 4. Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

## **MODIFICATIONS:**

Change of Landuse from "Industrial" to "Utility" (U-4) for the total land/area measuring 22.46 ha. divided into three sites i.e. site no. I-2 measuring 2.42 Ha, site no. I-8 measuring 13.45 Ha. and site no. I-10 measuring 6.59 Ha. for Solid Waste Management facilities in Industrial, Phase-V, Rohini.

The details of Change of Landuse for the sites are as under:-

S. No.	Location/ Plot No. as/ Layout Plan (LOP)	Area (In Ha.)	Land use (As per MPD- 2021 & ZDP of Zone-'M')	Land use changed to	<b>Boundary Description</b>
1.	Industrial Area, Rohini Phase-V Plot No. I-2	2.42	Industrial	Utility (U-4),  (Solid Waste Management Facility) for Research, development & Recycling of waste.	North-DSIIDC Land East-DSIIDC Land South-Slaughter House West-40m wide Green Belt
2.	Industrial Area, Rohini Phase-V Plot No. I-8	13.45	Industrial	Utility (U-4),  (Solid Waste Management Facility) for Engineered Sanitary landfill and compost plant.	North-Proposed 45m wide road & Built-up East-Built-up South-Proposed 30m wide road & 18m wide road. West-DSIIDC Land & Bus Depot.

3.	Industrial Area,	6.59	Industrial		North-Green & Built-up DSIIDC
	Rohini Phase-V			Utility (U-4),	Land.
	Plot No. I-10				East-Built-up
				(Solid Waste	South-Built-up
				Management Facility)	West-DSIIDC Land
				for waste to Energy	
				plant.	

### Condition:

- (i) The local body to ensure to provide a green buffer around these Sanitary Land Fill sites.
- (ii) After saturation/filled up sites be reused for Plantation or Recreational area.
- (iii) The local body will use modern technology for the Sanitary Land Fill sites, so that it is not a health hazard for the surrounding area.

[F.No. K-13011/21/2015-DD-I] SUNIL KUMAR, Under Secy.